कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail bemetaracmho@yahoo.com

क्रमांक/स्था.सीधी भर्ती/2020/2206 बेमेतरा, दिनांक 12/11/2020

// आवश्यक सूचना //

विषय :– जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पद ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, महिला (A.N.M.) का ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची में प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु संवर्गवार सूची जिले की वेबसाईट में प्रकाशन करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत् लेख है कि संचालयनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. द्वारा विज्ञापित सीधी भर्ती के पद ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (A.N.M.) के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक मेरिट सूची पर प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत अनंतिम मेरिट सूची (घटते कम में) प्रकाशन एवं 01 अनुपात 03 में दस्तावेज सत्यापन हेतु संवर्गवार (अनारक्षित, अनु.जाति, अनु.ज.जाति, अपिव, भू.पू.सै., दिव्यांग) अभ्यार्थियों की सूची जिले की वेबसाईट www.bemetara.gov.in में एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में प्रकाशन किया गया है। अतएव अभ्यार्थीगण/आवेदिका उक्त सूची का अवलोकन कर सकते है।

दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य नियम व शर्ते :–

टीप :–1. अनारक्षित, अपिवर्ग, अनु.जाति एवं अनु.जनजाति संवर्ग के अभ्यार्थियों हेतु तिथि– दिनांक 26/11/2020 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक निर्धारित है।

2. भू.पू.सैनिक एवं दिव्यांग (केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक) अभ्यार्थियों हेतु तिथि दिनांक 27/11/2020 समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक निर्धारित है।

3.दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यार्थी/आवेदिका को स्वयं उपस्थित होना होगा।

4.दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यार्थियों को संवर्गवार पद के विरूद्ध 01 अनुपात 03 में बुलाया गया है।

5.दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय संस्थाओं में ए.एन.एम. के पद पर कार्यानुभव वाले आवेदिका नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र मूल प्रति अवश्य लावें। नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव का अंक मान्य नहीं होगा। सेवा में होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6.अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा एवं 02 स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

7.अभ्यार्थियों को अपने साथ 02 कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं पहचान पत्र (पेन कार्ड/अधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप लाना अनिवार्य होगा।

8.यदि अभ्यार्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा। एवं चयन प्रकिया में अपात्र माना जावेगा।

9.कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियों को कोविड–19 से संबंधित समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10.दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाईन किये गये आवेदन की प्रति 02 सेट जमा करना अनिवार्य है।

11.ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जावेगा। अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को स्वीकार और सत्यापन नहीं किया जावेगा।

Sd/- 12.11.2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner